दिल्ली सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली

कार्यालय महानिदेशक (कारागार) : दिल्ली

कारागार मुख्यालय : नियर लाजवंती गार्डन चौक, जनक पुरी : नई दिल्ली -64

अपीलकर्ता	:	बंदी रवि कपूर पुत्र श्री प्रीतम सिंह
आर.टी.आई कम्र संख्या	:	पत्रांक संख्या-4600/SCJ-3 दिनांक 03/06/2023
अपील कम्र संख्या	:	43 दिनांक 04/07/2023

आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-3 के द्वारा प्रदान की गई सूचना दिनांक 22/06/2023 और प्रथम अपील का अवलोकन किया।

प्रश्न संख्या-1 से 4 व 7 में जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर्याप्त है, चूंकि दिल्ली कारागार नियमावली 2018 सभी कारागारों की लाइब्रेरी में बंदियों के अवलोकन के लिए उपलब्ध है इसलिए अपीलकर्ता को जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए की वह उपलब्ध संसाधनों को प्रभावित कर अपीलकर्ता की इच्छानुसार किसी सामग्री से जानकारी खोज कर उसके द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप या कम में जानकारी प्रदान करे। जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।

प्रश्न संख्या- 5, 6 व 8 में जानकारी का खुलासा सुरक्षा की दृष्टि से प्रदान नहीं किया गया है जो कि उचित प्रतीत होता है। किसी अन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

तद्नुसार प्रथम अपील निरस्त की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।

उप महानिरिक्षक कारागार/
प्रथम अपीलीय अधिकारी o/c

बंदी रवि कपूर पुत्र श्री प्रीतम सिंह

F10(3476489)/Appeal General/CJ/Legal/2023/5117-18 Dated: 28/07/2023

आवश्यक सूचना के लिए प्रतिलिपिः-

जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-3, तिहाड़, नई दिल्ली-110064.